हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2013

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड, अधिनियम 1986 की धारा 20 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने बोर्ड में कार्य किया:–

क्र0सं0	पद	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष	श्री एस0के0 दास	1.09.11 से 8.07.12
2	अध्यक्ष	श्री के0 संजय मूर्ति	9.7.12 से 31.3.13
3	सचिव	श्री सुनील कुमार वर्मा	17.3.10 से लगातार
4	आहरण एवं वितरण अधिकारी	श्री मुलख राज शर्मा	19.3.10 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि
1	6	दिनांक 31.3.13 को समायोजन हेतु अग्रधन पाया जाना	797924
2	7	प्रतिभूति व जुर्माना राशि की वसूली न करना	268040
3	16	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई राशि बारे	15916

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। वर्ष 1988–89 से वर्ष 2011–12 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लगभग 39 पैरे निपटारे हेतु शेष है जिनका विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "A" पर दिया गया है। अतः बोर्ड प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि पुराने लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि पुराने पैरों का निपटारा यथासमय किया जा सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के अवधि 4/12 से 3/13 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण/जॉच परीक्षण, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री भवनीश पुरी आर्टिकल असिस्टैन्ट द्वारा दिनांक 14.10.13 से दिनांक 19.11.13 के दौरान बोर्ड कार्यालय में सम्पन्न किया गया। आय की विस्तृत जॉच हेतु माह 10/12 व व्यय की विस्तृत जॉच हेतु माह 6/12 के लेखाओं का चयन किया गया।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को बोर्ड के नियन्त्रण अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना जो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अवधि 4/12 से 3/13 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹30800/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु सचिव, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 30 दिनांक 19.11.13 द्वारा अनुरोध किया गया जिस पर कार्रवाई करते हुये

बोर्ड द्वारा उक्त राशि को ड्राफ्ट संख्या 743698 दिनांक 26.11.2013 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान बोर्ड के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) GENERAL+PAT Cash Book 2012-13 (परिशिष्ट–"B")

विवरण	राशि
आ0 शेष	66040514.21
पावतियां	61755797.10
ब्याज (बचत	830303.00
ब्याज (सावधि)	1697013.00
कुल योग	**130323627.31**
व्यय	32400468.00
अन्तशेष	**97923159.31**

अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.3.13 को सामान्य निधि+PAT निधि से सम्बन्धित बचत खातों में जमा अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गयाः– **(परिशिष्ट B-I) एवं (परिशिष्ट B-2)**

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	राशि
1	20129033816	के0सी0सी0 दाड़ी	3811572.00
2	10551097385	एस0बी0आई0 धर्मशाला	2423994.73
3	11510110009284	यूको बैंक	5022129.00
4	20129032449	के0सी0सी0(PAT)दाड़ी	36139.00
5	10551212323	एस0बी0आई0 (PAT) धर्मशाला	30108.58
6	87950100608745	हि0ग्रामीण बैंक दाड़ी	2746420.00
7	26030110001707	यूको बैंक	4374141.00
		योग	**18444504.31**

परिशिष्ट 2 के अनुसार सामान्य निधि+PAT निधि से सम्बन्धित जमा योजना खातो के अन्तर्गत निवेशित राशि **80189102.00**

कुल योग **98633606-31**

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तशेष में (₹98633606.31–₹97923159.31=₹7140447) का अन्तर पाया गया कि जिसका मिलान बैंक समाधान विवरणिका **(परिशिष्ट B-I)** पर किया गया है।

(ख) TWF CASH BOOK 2012-13 (परिशिष्ट–"C")

विवरण	राशि
आ0शेष	266579.67
पावतियां	65466.00
ब्याज	10939.00
योग	**342984.67**
व्यय	शून्य
अन्तशेष	**342984.67**

अन्तशेष का विवरणः–

TWF CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.3.13 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहाः–**(परिशिष्ट C-I)**

बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
SBI	10551210336	329625.67

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही तथा बैंक खाते में जमा राशि में (₹342984.67–₹329625.67=₹13359/–) का अन्तर पाया गया जिसका मिलान बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट "C-1"** पर किया गया है।

(ग) CPF CASH BOOK 2012-13 (परिशिष्ट–"D")

विवरण	राशि
आ0शेष	9593953.06
पावतियां	2116874.00

ब्याज (सावधि+बचत)	165464.00
सामान्य खाता से हस्तांतरित	150000.00
योग	**12026291.06**
व्यय	460975.00
अन्तशेष	**11565316.06**

अन्तशेष का विवरणः—(परिशिष्ट D-I)

CPF CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.3.13 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहाः—

बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
सावधि जमा में निवेशित राशि	**परिशिष्ट "D-2"**	10780022.00
भारतीय स्टेट बैंक	1055109396	735151.06
	योग	**11515173.06**

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में (₹11565316.06—₹11515173.06=₹50143) का अन्तर पाया गया कि जिसका मिलान बैंक समाधान विवरणिका **(परिशिष्ट D-I)** पर दिया गया है।

नोटः— बोर्ड की CPF से सम्बन्धित दायित्व "Liabilities" तथा उसका भुगतान करने के लिए CPF से सम्बन्धित विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि एवं सावधि में जमा राशि का विवरण **(परिशिष्ट D-3)** पर दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.13 को ₹115973.94 का दायित्व बैंक में जमा राशियों से अधिक पाया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(घ) गुप्त निधि 2012—13 (परिशिष्ट—"E")

(परिशिष्ट "E") में संलग्न उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार गुप्त निधि खाते को हस्तांतरित की गई राशि व उसमें सें किए गए व्यय एवं अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से रहाः—

विवरण	राशि
आ0 शेष	295163.74
सामान्य खाता से हस्तांतरित राशि	3000000.00

ब्याज	22217.00
योग	**3317380.74**
व्यय	2898722.00
अन्तशेष	**418658.74**

5 रोकड़ वहियों के अन्तशेष का प्रत्येक माह बैंक से मिलान न करनाः—

अभिलेख की जांच में पाया गया कि रोकड़ वहियों के अन्तशेष प्रत्येक माह के अन्त में बैंक से मिलान नहीं किया जा रहा है अपितु वर्ष में केवल एक ही बार ही रोकड़ वहियों के अन्तशेष को बैंक से मिलान किया जा रहा है। नियमानुसार माह के अन्त में बैंक व रोकड़ वहियों के अन्तशेष का मिलान करना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय त्रुटि की सम्भावना न रहे। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी पैरा 5 के अन्तर्गत आपत्ति उठाई गई थी परन्तु तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यद्यपि अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त में बोर्ड प्रशासन द्वारा अंकेक्षण की सहायता से इन राशियों का समाधान/मिलान करने के प्रयत्न किए गए है तदापि दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वहियों के अन्तशेष का बैंक के अन्तशेष में अत्याधिक राशियां समाधान/मिलान हेतु शेष थी। अतः अंकेक्षण द्वारा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ वही के अन्तशेषों का बैंक के अन्तशेष में मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

6 दिनांक 31.3.13 को अग्रधन की ₹797924/— का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 को विभिन्न विभागों कर्मचारियों/अधिकारियों व फर्मों के नाम अग्रधन के रूप में ₹797924/— समायोजन हेतु शेष पाई गई जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "G"** पर दिया गया है। जॉच के दौरान यह भी पाया गया कि अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष कुछ राशियॉ वर्ष 1987 से 1992 से सम्बन्धित है जिनके समायोजन हेतु लगभग 20—25 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी कोई प्रयास नहीं किये जा रहे है। अतः अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष पड़ी राशियों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7 मैसर्ज एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर उनसे नियमानुसार जुर्माने की ₹68040/– की वसूली न करना तथा प्रतिभूति की ₹200000/– को जब्त न करनाः–

मै0 एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल दिल्ली को निम्नविवरणानुसार उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति हेतु भुगतान किया गया।

वा0सं0	दिनांक	राशि
275	23.7.12	676997
657	4.1.13	368550

बोर्ड द्वारा उक्त वर्णित वाऊचर संख्या 275 दिनांक 27.3.12 के अन्तर्गत किए गए ₹676997/– के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा फर्म को वर्क आर्डर संख्या HTB/GEN/OMR-Anwer Book/2011-1121 दिनांक 30.4.12 को दिया गया था तथा फर्म द्वारा उतर पुस्तिकाओं की आपूर्ति डिल्वरी नोट संख्या 884 दिनांक 25.5.12 द्वारा की गई जबकि उपरोक्त वर्क आर्डर के अनुसार 15 दिनों के भीतर डिलवरी पहुंचानी अपेक्षित थी अथवा अनुबन्ध की शर्ता संख्या 1 (डी) के अनुसार 10**%** प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलना अपेक्षित था और 10 दिन से अधिक देरी होने पर प्रतिभूति की ₹2.00 लाख भी जब्त की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित वाऊचर संख्या 657 दिनांक 4.1.13 से सम्बन्धित वर्क आर्डर एच0पी0एस0बी0/स्टोर/ओ0एम0आर0/आनसर –बुक/2011–6448 दिनांक 22.10.12 को दिया गया था तथा फर्म द्वारा उतर पुस्तिकाओं की आपूर्ति डिलवरी नोट संख्या 1274 दिनांक 20.11.12 द्वारा दी गई। अतः उक्त प्रकरणों में भी जुर्माना इत्यादि ही ₹68040/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु उक्त प्रकरणों में फर्म से न तो जुर्माना के रूप में ₹68040/–की वसूली नहीं की गई और न ही प्रतिभूति की राशि की वसूली की गई जबकि फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नियत तिथि को उत्तर पुस्तिकाओं की डिलवरी नहीं की गई थी। अतः उक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य प्रिंटिंग से सम्बन्धित भुगतान अनुबन्ध व अवार्ड की शर्तों अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि बोर्ड प्रशासन को किसी प्रकार की वित्तीय हानि न

उठानी पड़े। इसके अतिरिक्त उक्त फर्म के डिफाटर होने पर भी बोर्ड प्रशासन द्वारा बार–बार प्रिंटिग से सम्बन्धित कार्य उक्त फर्म को ही आंबटित किया जा रहा है जिस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त मामला बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ वांन्छित छानबीन एवं उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 मैसर्ज एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर उनसे जुर्माने के रूप में अध्याधिक कम राशि की वसूली करना तथा परफाईन्स वारन्टी की राशि की वसूली न करनाः–

बोर्ड द्वारा वाऊचर संख्या 146 दिनांक 27.6.12 द्वारा मैसर्ज एस0पी0 एस0 इन्टरनैशनल दिल्ली को ₹2955/– की पैन्लटी लगाने पश्चात ₹292545/– का भुगतान उत्तरपुस्तिकाओं की आपूर्ति के एवज में किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि फर्म द्वारा उक्त उत्तरपुस्तिकाएॅ सम्बन्धित फाईल की नोंटिंग संख्या 98 के अनुसार दिनांक 26.3.12 तक मुद्रित करके बोर्ड कार्यालय में पहुंचानी अपेक्षित थी जबकि उत्तरपुस्तिकाओं की आपूर्ति फर्म द्वारा दिनांक 30.3.12 को की गई जिस पर बोर्ड प्रशासन द्वारा देरी के लिये ₹295500/– पर 0.5**%** की दर से ₹2955 जुर्माना लगाकर फर्म को शेष राशि ₹292545/–का भुगतान किया गया। इस प्रकार बोर्ड प्रशासन द्वारा जुर्माने के रूप में 0.5**%** की दर से अध्याधिक कम ₹2955/– की वसूली की गई है तथा बोर्ड प्रशासन द्वारा परफाईन्स वारन्टी की राशि की भी वसूली नहीं की गई। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा यह जुर्माना किस आधार पर लगाया गया इसका उल्लेख भी अभिलेख में नही दिया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में वर्क आर्डर की शर्तों के अनुसार फर्म से जुर्माना राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये।

9 प्रोस्पैक्टस की प्रिंटिंग/ छपवाई का कार्य न्यूनतम दर वाली संविदा फर्म के स्थान पर दूसरी फर्म देकर फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने बारेः–

(क) बिल संख्या एस0पी0एस0 1/एफ0–015 दिनांक 12.4.12 की जॉच पर पाया गया कि मैसर्ज एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल दिल्ली को PAT से सम्बन्धित प्रोस्पैक्टस की छपवाई हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गयाः–

1	18000 General Prospectus @ 19.70	354600
2	12000 SC/ST Prospectus @ 19.70	236400
	कुल योग	**591000**

उक्त प्रोस्पैक्टस को छापने के लिये निम्नलिखित फर्मों ने आवदेन किया गया थाः–

क्र0सं0	**फर्म का नाम**	**दर**
1	M/S SPS Inmternational Ltd. Delhi	19.87
2	Sehgal Printer & Packers Solan	21.55
3	Shree Sai Enterprises Rajpur	24.15
4	Sh. Jind Printer Palampur	19.60 (Vat 5% Extra)
5	M/S R.K. Screen Printers D/Shala	19.70
6	M/S Imperial Printers D/Sala	21
7	Dolphin Printer Graphics	21.41

उक्त निविदाओं की समीक्षा करने के उपरान्त पाया गया कि M/S SPS International Ltd. को नेगोसेशन के उपरान्त ₹19.70 की दर पर कार्य आंबटित किया गया जबकि निविदाओं में M/S R.K. Screen Printers द्वारा न्यूनतम दर ₹19.70 दी गई थी तथा नेगोसेशन करके उक्त दर को और भी कम किया जा सकता था जैसा कि M/S SPS International Ltd. के प्रकरण में किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि M/S R.K. Screen Printers जोकि स्थानीय फर्म भी है को उक्त कार्य आंबटित न करके M/S SPS International Ltd. को कार्य आंबटित करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। उक्त मामला बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) वाऊचर संख्या 265 दिनांक 18.7.12 की जांच पर पाया गया कि मैसर्ज एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल दिल्ली को 6000 LEET प्रोस्पैक्टस की छपवाई हेतु ₹17.70 प्रति प्रोसपैक्टस की दर से ₹106087/– का भुगतान किया गया। निविदाओं की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य हेतु मै0 आर0के0 प्रिन्टर्ज द्वारा ₹17.50 की दर भरी गई। अतः उक्त कार्य मैसर्ज एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल को ₹17.70 प्रति प्रोसपैक्टस की दर से किस आधार पर आंबटित

किया गया इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त मै0 एस0पी0एस0 इन्टरनैशनल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने के बावजूद भी बोर्ड प्रशासन द्वारा प्रिटिंग से सम्बन्धित कार्य उक्त फर्म को आंबटित कर के उन्हें अनुचित लाभ पंहुचाया गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये। यह मामला बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10 वर्कशाप के आयोजन हेतु ₹3240/– का अनुचित एवं अधिक भुगतान करनाः–

वाऊचर संख्या 531 दिनांक 30.11.12 की जांच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः–

(क) उक्त वाऊचर के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2012 व 01.12.2012 के दौरान आयोजित वर्कशाप में 34 मेम्बरों को दिए गए लन्च व चाय हेतु ₹9180/– का भुगतान किया गया जबकि हास्पिटेलिटी रजिस्टर के पेज 54 के अनुसार केवल 22 मेम्बरों द्वारा उक्त वर्कशाप में हिस्सा लिया गया। इस प्रकार 22 मेम्बरों के लन्च व चाय के लिये ₹5940/– का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप बोर्ड ₹3240/– का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक भुगतान की गई ₹3240/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके बोर्ड के खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त जॉच के दौरान पाया गया कि उक्त व्यय से सम्बन्धित निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित करने की निर्धारित औपचारिकतायें बोर्ड प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई जिसके अभाव में भुगतान की दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्रापत करके इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 पारिश्रमिक के रूप में ₹2700/– का अधिक भुगतान करनाः–

वाऊचर संख्या 186 दिनांक 20.6.12 की जांच के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा नीचे दिये विवरणानुसार Invegilator/ Dy Supdt की अधिक नियुक्ति करके उन्हें पारिश्रमिक के रूप में ₹2700/– का अधिक भुगतान किया गया।

संस्था का नाम	छात्रों की सं0	नियमानुसार Invegilator/ Dy Supdt की नियुक्ति	वास्तव में की गई नियुक्ति	अधिक की गई नियुक्ति	दर	अधिक भूगतान की राशि
डाईट धर्मशाला	250	9	11	2	350	700
डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल हमीरपुर	471	16	20	4	350	1400
आई0टी0आई0 ऊना	123	1	2	1	600	600
						2700

अतः पारिश्रमिक के रूप में किये गये अधिक किए गए भुगतान के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये व अधिक भुगतान की गई राशि की पूर्ति उचित स्त्रोत से करके बोर्ड के खाते में जमा करवानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही Invegilator/ Dy Supdt इत्यादि की नियुक्ति की जानी सुनिश्चित की जाये।

12 बिलों को देरी से जमा करने के कारण जुर्माने के रूप में ₹84/– का भुगतान करनाः–

वाऊचर संख्या 193 दिनांक 25.6.12 के अन्तर्गत जुर्माने के रूप में ₹84/– का भुगतान एस0डी0ओ0 (आई0पी0एच0) को नीचे दिये विवरणानुसार किया गया।

मी0सं0	बिल अवधि	निर्धारित तिथि तक देय राशि	निर्धारित तिथि पश्चात देय राशि	अधिक भुगतान की गई राशि
1789	17/10 से 3/12	357	393	36
1854	–यथोपरि–	478	526	48
				84

अभिलेख की जांच पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा बिलों का भुगतान जमा करवाने की निर्धारित तिथि के पश्चात किया गया जिस कारण हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा जुर्माने के रूप में ₹84/– का भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके बोर्ड के खाते में जमा करवानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

13 वाहनः–

तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वाहन पर किए गए खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) वाहन संख्या एच0पी0–39–4315 की औसत कम दर्शाने बारेः–

जांच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा वाहन संख्या एच0पी0–39–4315 की औसत कम दर्शाई जा रही है। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि एस0डी0ओ0, पी0डब्लयू0डी0 धर्मशाला द्वारा उक्त वाहन की औसत 7.06 कि0मी0 प्रति लीटर निर्धारित की गई है तथा व्हीकल मेनटेनस एक्ट के अनुसार वाहन चालक द्वारा इसी औसत के अन्तर गाडी चलानी आवश्यक होती है परन्तु उक्त वाहन की लॉगबुक की जांच में पाया गया कि ड्राईवर द्वारा इस वाहन की औसत कम दर्शाई जा रही है तथा तदानुसार तेल की खपत अधिक दर्शाई गई है। अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/13 के दौरान उक्त वाहन की दर्शाई गई औसत तथा तेल का खपत का विवरण निम्नानुसार हैः–

माह	माह में की गई कुल यात्रा	वाहन चालक द्वारा माह में दर्शाई गई औसत प्रति लीटर	माह में औसत अनुसार की गई तेल खपत	नियमानुसार वाहन की निर्धारित औसत 7.06 लीटर प्रति कि0मी0 पर वांन्छित तेल खपत	माह में की गई अधिक तेल खपत
4/12	3622	6.77	535	513	22
5/12	2039	7.0	291	289	2
6/12	3112	7.0	444	441	3

7/12	3187	7.0	454	451	3
8/12	2179	7.0	311	309	2
2/13	4998	7.0	714	708	6
3/13	3038	7.0	434	430	4
				कुल खपत	**42 लीटर**

अतः वाहन की औसत को कम दर्शाने के परिणामस्वरूप अधिक इस्तेमाल किये गये तेल की कीमत की उचित स्त्रोत से वसूली करके बोर्ड के खाते में जमा करवाई जाये व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

(ख) वाहन संख्या एच0पी0–39 बी–3323 की औसत तेल की खपत का निर्धारण न करवाने बारेः–

उपरोक्त वाहन की लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा इस वाहन की औसत तेल की खपत किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से निर्धारित नहीं करवायी गयी है तथा बोर्ड द्वारा इस वाहन की निम्नविवरणानुसार हर माह अलग–अलग दर्शाई जा रही है।

अवधि माह	औसत
4/12	7.90
5/12	8.05
6/12	7.40
7/12	7.35
8/12	8.01
9/12	8.05
10/12	8.45
11/12	7.85
12/12	7.90
1/13	8.00
2/13	7.95
3/13	8.01

इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण के पैरा संख्या 15 में भी सुझाव दिया गया था कि इस वाहन की औसत का निर्धारण किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए परन्तु अभी तक भी अंकेक्षण के इस सुझाव पर कोई अमल नहीं लाई गई है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विवरण परिचायकाओं /प्रोस्पैक्टस की छपवाई तथा बिक्री इत्यादि से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताऐंः—

तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा समय—समय पर छपवाए गए "प्रोस्पेक्टस" से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गईः—

(क) अत्याधिक मात्रा में "प्रोस्पैक्टस" की छपवाई करवानाः—

गत वर्षों में तकनीकी बोर्ड धर्मशाला द्वारा छपवाए गए व बिक्री किए गए प्रोस्पैक्टस का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से पाया गया है।

	छपवाई	बिक्री	शेष
	वर्ष 2011		
पैट (PAT)	30000	19566	10434
लिट (LEET)	3000	692	2308
		कुल योग	**12742**
	वर्ष 2012		
पैट (PAT)	30000	19089	10911
लिट (LEET)	6000	1959	4041
		कुल योग	**14952**
	वर्ष 2013		
पैट (PAT)	30000	16530	13470
लिट (LEET)	5000	2891	2109
		कुल योग	**15579**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष छपवाए गए प्रोस्पैक्टस की तुलना में प्रोस्पैक्टस की बिक्री कम हो रही है तथा हर वर्ष लगभग 12000 से 15000 प्रोस्पैक्टस बिना बिक्री के रह जाते है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा मांग का सही आंकलन नहीं किया जा रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर अपेक्षित जांच करने के उपरान्त तथा गत वर्षों की मांग के अनुपात को तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रोस्पैक्टस की छपवाई ही करवाई जाए जिससे प्रोस्पैक्टस की छपवाई पर किए जा रहे अनावश्यक व्यय को कम किया जा सकता है।

(ख) प्रोस्पैक्टस के वितरण व वापिसी पर अपेक्षित सत्यापन न करवाया जानाः–

बोर्ड द्वारा प्रोस्पैक्टस विभिन्न तकनीकी विद्यालयों को बिक्री के लिये भेजे जाते है। जॉच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा बिक्री के लिए प्रोस्पैक्टस न तो क्रमानुसार भेजे जाते है और न ही किसी अधिकारी द्वारा इस का सत्यापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बिक्री न हो जाने के पश्चात जो प्रोस्पैक्टस वापस आते है उनका भी किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है जिनके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस–2 क्रम वाले कितने प्रोस्पैक्टस भेजे गए और कितने प्रोस्पैक्टस वापस आये है। अतः बिक्री के लिए भेजते समय व वापिसी पर इनका सत्यापन सक्षम अधिकारी से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 रसीदों को अनाधिकृत रूप से रद्द करनाः–

स्टॉक रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.6.12 को नीचे दिये विवरणानुसार रसीदों को अनाधिकृत रूप से रद्द किया गया।

रसीद संख्या
54001 से 54100
54101 से 54200
54201 से 54300
54301 से 54400
54701 से 54800
54901 से 55000
10801 से 10900 **(PAT)**
10901 से 11000
12601 से 12700

इस सन्दर्भ में यद्यपि सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा नोटिंग संख्या 69 दिनांक 19.6.12 द्वारा रसीदों को रद्द करने हेतु कमेटी गठित करने के लिए अनुमोदन दिया गया था परन्तु कमेटी गठित किये बिना ही उक्त रसीदें रद्द कर दी गई जोकि अनियमित है जिस बारे अंकेक्षण को वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

16 गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹15916/– का अधिक भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (सी) बी(7) 5/2009 दिनांक 3.12.2009 के अनुसार अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के संशोधित वेतन का निर्धारण दिनांक 1.12.09 से "Equal to the minimum of the pay band Plus grade pay applicable to the corresponding cadre of employees" के आधार पर किया जाना था, परन्तु बोर्ड में कार्यरत्त अनुबन्ध के आधार पर कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच उपरान्त यह पाया गया कि अनुबन्ध कर्मचारियों के संशोधित वेतन का निर्धारण उपरोक्त अधिसूचना के अनुरूप नहीं किया गया था जिस कारण इन कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹15916/– का अधिक भुगतान किया गया।

कर्मचारी का नाम	अवधि	Due	Drawn	अन्तर	कुल राशि
श्री सुदर्शन कुमार (कम्पयूटर सहायक) संशोधित वेतन 10300+3800=14100	01.03.12 से 7.01.13 (10 माह –7 दिन)	15390	15910	520	5317
	08.01.13 से 31.3.13 (2 माह –24 दिन	15820	16350	530	1470
					₹6787

श्री पवन कुमार (चालक) संशोधित वेतन 5910+2000=7910	01.03.12 से 11.6.12 (3 माह –11 दिन	8390	8740	350	1178
	12.6.12 से 31.3.13 (9 माह –19 दिन)	8630	8990	360	3461
					₹4639
श्री राजेश शर्मा (चालक)	01.03.12 से 31.08.12 (6 माह)	8150	8490	340	2040
	01.09.12 से 31.3.13 (7 माहे)	8390	8740	350	2450
					4490

अतः संस्था स्तर पर आवश्यक जांच करके अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जाए तथा इसे बोर्ड निधि में जमा करवाया जाए।

17 यात्रा भत्ता के रूप में ₹1598/– का अधिक भुगतान करना:–

माह 6/12 के यात्रा भता दावा बिलों/वाऊचरों की जांच पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा नीचे दिये विवरणानुसार ₹1598/– का अधिक भुगतान किया गया:–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	वा0सं0 /दिनांक	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान की राशि
1	श्री गम्भीर सिंह नेगी (व0स0)	151/13.6.12	960	640	320
2	कुमारी पूनम गौतम (व0स0)	152/13.6.12	160	72	88
3	श्री विधि चन्द (क0स0)	153/13.6.12	482	342	140

4	श्री विधि चन्द (क0स0)	154/13.6.12	572	432	140
5	श्री कुलदीप चन्द (क्लर्क)	155/13.6.12	520	380	140
6	श्री बांका राम (चपड़ासी)	156/13.6.12	900	760	140
7	श्री चुन्नी लाल (क्लर्क)	159/13.6.12	650	510	140
8	श्री चुन्नी लाल (क्लर्क)	160/13.6.12	1300	1090	140
9	श्री मुलतान चन्द (क्लर्क)	161/13.6.12	390	250	140
10	श्री मुलतान चन्द (क्लर्क)	162/13.6.12	780	640	140
				कुल योग	**1598**

अतः यात्रा भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की गई उक्त ₹1598/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके बोर्ड निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

18 नियमानुसार सेवा पंजिका का सत्यापन न करनाः–

कुमारी पूनम गौतम वरिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि उनकी दिनांक 1.6.09 से 31.5.12 तक की सेवा माह 5/12 में सत्यापित की गई जबकि उनको वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष दी जा रही है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा नियमानुसार उनकी सेवा पंजिका को प्रतिवर्ष सत्यापित नहीं किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में ऐसे समस्त प्रकरणों में वांन्छित कार्रवाई अमल में लाते हुये अनुपालना की जांच आगामी आडिट पर करवानी सुनिश्चित की जाये।

19 विविध बिलों के भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार न करनाः–

(क) वाऊचर संख्या 529 दिनांक 27.11.12 द्वारा एडवोकेट लवनीश कुमार को लीगल चार्जिज के रूप में ₹4650/– का भुगतान किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा कोर्ट केसों से सम्बन्धित रजिस्टर नहीं लगाया गया जिसके अभाव में विभिन्न केसों के एवज में भुगतान की गई राशि की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में कोर्ट केस से सम्बन्धित रजिस्टर लगाकर उसमें विभिन्न केसों से सम्बन्धित ब्यौरा दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

(ख) इसके अतिरिक्त वाऊचर संख्या 141 दिनांक 1.6.12 की जांच पर पाया गया कि मै0 सोहन लाल सहोटा जोगिन्द्रनगर को सफाई कार्य हेतु ₹6830/– का भुगतान किया गया जबकि उक्त कार्य हेतु माहवार किये जा रहे भुगतान के लिये कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया गया जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व वांन्छित अभिलेख तैयार करके आडिट में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

20 परीक्षा व रिवेन्यूएशन फार्म शुल्क के सन्दर्भ में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परीक्षा फार्म रजिस्टर के पेज संख्या 55 के क्रम संख्या 106 पर धौलाधार प्राईवेट आई0टी0आई0 तहसील कांगड़ा को फार्म संख्या 108053 से 108071 के कुल 19 फार्म जारी किये गये जिसकी ₹10 प्रति फार्म की दर से ₹190/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु बोर्ड द्वारा रसीद संख्या 56109 दिनांक 26.10.12 के अन्तर्गत केवल 18 फार्म हेतु ही शुल्क के रूप में ₹180/– की वसूली दर्शाई गई। अतः शेष ₹10/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके बोर्ड के खाते में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त रिवेल्यूएशन फार्म के रजिस्टर के पेज संख्या 78 के क्रम संख्या 70 पर दिनांक 26.10.12 को Rotary Pvt. ITI को फार्म संख्या 11533 से 11536 के कुल 4 फार्म जारी किये परन्तु जिन रसीदों के अधीन उक्त फार्मों से सम्बन्धित शुल्क की वसूली की गई उनकी जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं करवाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त 4 फार्मों के शुल्क के रूप मे भी अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से कर बोर्ड निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाये।

21 परफोर्मा बिल के आधार पर भुगतान करने बारेः—

बोर्ड द्वारा वाऊचर संख्या 280 दिनांक 27.7.12 के अन्तर्गत M/S Pitney Bowes Pvt. Ltd. चण्डीगढ़ को उनके परफोर्मा बिल संख्या 1213—00005557 दिनांक 16.5.12 के एवज में मूल ₹12000/— व उक्त राशि पर सेवाकर की ₹1483/— का भुगतान किया गया। अतः उक्त भुगतान को परफोरमा बिल पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व उक्त परफोरमा बिल के अन्तर्गत सेवाकर का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इस सन्दर्भ में मूल बिल आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

22 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जानाः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा भण्डार में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया जबकि नियमों के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का सत्यापन प्रत्येक वर्ष करवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों के अनुसार भण्डार मे ंपड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

24 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार व कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 111/87 खण्ड—8—483—486 दिनांक 18.01.2014, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 सचिव, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला—2

3 निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हि0प्र0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 श्री मुकेश कुमार स्नेही, अ0अ0 द्वारा

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट–"A"

पैरा संख्या 1 (घ) में सन्दर्भित

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1988 से 1989

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–5 (ए)	₹350/–की कम वसूली	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1990 से 1992

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–7	मानदेय राशि के भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत
2	पैरा–15 (क)	प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में ₹3578/–की वसूली बारे	अनिर्णीत
3	पैरा–15 (ख)	प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में ₹1614/–की वसूली बारे	अनिर्णीत
4	पैरा–16	प्रतिनियुक्ति पर गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹36881 की वसूली बारे	आंशिक निर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992 से 1995

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–8	मानदेय के रूप में किए गए ₹10000/–के भुगतान बारे	अनिर्णीत

2	पैरा–13	प्रतिनियुक्ति के रूप में किए गए अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1995 से 1997

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–6 (2)	परीक्षा शुल्क की ₹810/–की कम वसूली बारे	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (4)	परीक्षा शुल्क की ₹25/–की कम वसूली बारे	अनिर्णीत
3	पैरा–10	पी0ए0टी0 से सम्बन्धित मानदेय का अनियमित भुगतान	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (क)	–यथोपरि–	अनिर्णीत
5	पैरा–14 (क)	परीक्षा संचालन सम्बन्धी मापदण्डों के विपरीत अधिक भुगतान की गई ₹1565/–की वसूली बारे	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1997 से 1998

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–9	₹3808/–की घटिया सामग्री की आपूर्ति के सन्दर्भ में	अनिर्णीत
2	पैरा–22 (ङ)	अधिवक्ता के किए गए अधिक भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2000 से 2001

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–7	आवास भत्ते के रूप में ₹6351/–की वसूली बारे	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2002 से 2003

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–9 (1)	कालातीत यात्रा भत्ते बिलों के भुगतान के सन्दर्भ में	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2004 से 2006

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	
1	पैरा–4 (4)	मृत्यु एवं सेवा–निवृत उपदान राशि हेतु प्रावधान के सन्दर्भ में	निर्णीत	(वर्ष 2013–14 के बजट में प्रावधान पारित कर दिया गया है)
2	पैरा–6	पंजीकरण शुल्क की ₹66280/–की कम वसूली बारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007 से 2008

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–5 (3)	बैंक द्वारा ₹20450/– का क्रेंडिट न देने व ₹24688/–का अकारण ही बैंक द्वारा डेविट करना	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (14)	पी0ए0टी0 खाते में बैंक द्वारा ₹3179/–का क्रेडिट न देने बारे	
3	पैरा–8	बोर्ड की समस्त भूमि का राजस्व सम्बन्धी रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे।	अनिर्णीत

4	पैरा–11	हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज अंशदाय पैशन नियम 2006 को लागू न करने बारे।	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	खरीदे गए सामान का स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे	निर्णीत	(इस पैरे को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008 से 2009

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा–5	पैरा नं0 वर्णित नहीं है।	निर्णीत	(पैरा नं0 वर्णित नहीं है)
2	पैरा–6	पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹67750/–निदेशक तकनीकी शिक्षा से वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विलम्ब शुल्क न वसूला जाना	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
4	पैरा–10	बोर्ड प्रशासन द्वारा निवेश की गई राशि पर ₹25 लाख ब्याज दर बारे।	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
5	पैरा–13	प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अधिक किए गए भुगतान की वसूली बारे।	अनिर्णीत	
6	पैरा–16	₹12449/–के भुगतान बारे।	अनिर्णीत	
7	पैरा–21 (ख)	लॉग बुक की जॉच करने पर यात्राऐं बोर्ड के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गई यात्रा का उद्देश्य/सत्यापन न किये जाने बारे।	अनिर्णीत	
8	पैरा–21	गाड़ी की मुरम्मत हेतु दी गई अग्रिम राशि	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)

	(घ)	के समायोजन बारे।		
9	पैरा–21 (ङ)	गाड़ी का प्रयोग बोर्ड हित में नहीं।	निर्णीत	(यथोपरि)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2009 से 2010

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	
1	पैरा–6	सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क की ₹50,000/–की वसूली बारे।	अंशतः निर्णीत	(सम्बद्धता शुल्क की राशि दण्ड सहित रसीद संख्या 46171 दिनांक 17.2.11 की प्राप्त की गई)
2	पैरा–10	वाहन संख्या एच0पी0 39–4315 के प्रयोग के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत	
3	पैरा–11	अराजपत्रित अवकाश वाले दिन गाड़ी के प्रयोग बारे	अनिर्णीत	
4	पैरा–12	सम्बद्धता शुल्क नियम बनाने बारे।	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010 से 2011

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति
1	पैरा–8	विक्रय केन्द्रों से ₹220020/– की वसूली न करना	अनिर्णीत
2	पैरा–10	पंजीकरण शुल्क के रूप में	अनिर्णीत

		₹21250/–निदेशक तकनीकी शिक्षा से वसूल न करने बारे।		
3	पैरा–11	गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹28831/– के अधिक भुगतान के बारे में	अनिर्णीत	
4	पैरा–21	स्थाई वस्तुओं का उक्त शेष शून्य दर्शाने बारे	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
5	पैरा–22	प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे	निर्णीत	(इस पैरे को वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया)
6	पैरा–23	वाहन संख्या एच0पी0 39–3323 की खरीद एवं औसत तेल की खपत के बारे में	अंशतः निर्णीत	(स्वीकृति व बिल/वाऊचर देख लिए है)
7	पैरा–24	लॉग बुक में यात्रा हेतु वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दर्शाने बारे	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2011 से 2012

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे का संक्षिप्त विवरण	पैरे की स्थिति	
1	पैरा–5	रोकड़ वहियों के मासिक अन्तशेष का बैंक से मिलान न करने बारे	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	निवेश	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	दिनांक 31.3.12 को समायोजन हेतु अग्रधन ₹944933/– का शेष पाया जाना	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया)
4	पैरा–8	एन0सी0वी0टी0 की परीक्षा का संचालन हेतु अग्रिम राशियों का भुग्रतान वित्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार न करने बारे	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)

5	पैरा–9	बिना सरकार की अनुमति के निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को ₹5 करोड़ प्रदान करने बारे	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	आई0टी0आई0 परिसर धर्मशाला में कम्पयूटर प्रयोगशाला व तीन आवासों के निर्माण बारे	अनिर्णीत	
7	पैरा–11	विभागीय शुल्क के रूप में लगभग ₹172000/– का अधिक भुगतान करने बारे	अनिर्णीत	
8	पैरा–12	निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करने के बारे में	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
9	पैरा–13	निर्धारित शुल्क लिए बिना निरीक्षण/पुनः मूल्यांकन करने बारे	निर्णीत	(वसूली देख ली है)
10	पैरा–14	विवरण परिचायकाओं की छपवाई बिक्री व वापसी के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताएं	अनिर्णीत	
11	पैरा–15	तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वाहन पर किए गए खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाई गई अनियमितताएं	अनिर्णीत	
12	पैरा–16	मै0 न्यू हिल पब्लिक गुडस कैरियर एसोसिएशन ट्रक यूनियन धर्मशाला को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए किए गए ₹25373/– के भुगतान के बोर में	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली है)
13	पैरा–17	श्री जुगल किशोर कोरडियेंटर का मानदेय की ₹400/– का अधिक भुगतान	निर्णीत	(₹392/– की वसूली रसीद संख्या 58824 दिनांक 1.8.13 द्वारा कर ली गईं)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	39
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	17
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2011—12 तक अनिर्णीत पैरे	56